

उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने
और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना)
अधिनियम, 1976

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, 1976)

**THE UTTAR PRADESH DEPARTMENTAL
INQUIRIES (ENFORCEMENT OF ATTENDANCE
OF WITNESSES AND PRODUCTION OF
DOCUMENTS) ACT, 1976**

(U.P. Act No. IV of 1976)

उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1976]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 31 मार्च, 1976 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 2 अप्रैल, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया।]

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 12 अप्रैल, 1976 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 13 अप्रैल, 1976 को प्रकाशित हुआ।]

कतिपय विभागीय जांच में साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 17 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

2—इस अधिनियम के उपबन्ध उस व्यक्ति के सम्बन्ध में की गई प्रत्येक विभागीय जांच पर लागू होंगे :—

विभागीय जांच,
जिन पर अधिनियम
लागू होगा

(क) जो व्यक्ति राज्य की किसी असैनिक सेवा के सदस्य हैं या राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करते हैं ;

(ख) जो व्यक्ति निम्नलिखित की सेवा में हैं या उनके अधीन कोई पद धारण किए हुए हैं :—

(1) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

(2) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का कोई बोर्ड या निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तर्गत कोई कम्पनी न हो) ;

अधिनियम संख्या
1, 1956

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार समादत्त अंश पूंजी के पचास प्रतिशत से अन्यून को धारण किए हैं या ऐसी सरकारी कम्पनी की समनुषंगी कोई कम्पनी ;

(4) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकायों में सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन, पूर्णतया लोक अधिकारी या राज्य सरकार के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, या दोनों हैं ;

अधिनियम संख्या
21, 1860

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 31 मार्च, 1976 का उत्तर प्रदेशीय का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

उत्तर प्रदेशीय विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976)

(ग) जो व्यक्ति खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य या किसी पद के धारण करने वाले न रह गये हों, उनके उस समय के कार्य या लोप के सम्बन्ध में जब कि वे ऐसी सेवा के सदस्य या ऐसे पदों के धारण करने वाले थे।

3—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये —

परिभाषाएँ

(क) “विभागीय जांच” का तात्पर्य धारा 2 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की जांच से है, जो :—

(i) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम ; या

(ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये, या अनुच्छेद 313 के अधीन जारी रखे गये किसी नियम, के अधीन और अनुसार की जायें ;

(ख) “जांचकर्ता प्राधिकारी” का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के द्वारा या अधीन विभागीय जांच करने के लिये सशक्त है, और उसके अन्तर्गत वह अधिकारी या प्राधिकारी भी है, जिसको सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी जांच करने की शक्ति प्रतिनिहित कर दी है ;

(ग) “आरोप” के अन्तर्गत कोई ऐसा अभिकथन भी है, जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जब वह सेवा में हो या जब वह कोई पद धारण करता हो, अनुशासनिक कार्यवाही करना प्रस्तावित हो या, जहां वह सेवा में न रह गया हो या पद न धारण कर रहा हो, वहां कोई दुराचरण या उपेक्षा भी है, जिसके कारण पेंशन को या उसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने के लिए या सेवायोजक की किसी आर्थिक हानि को पेंशन से वसूल करने के लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित हो।

4—(1) प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् :—

प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी की साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेज प्रस्तुत कराने की शक्ति

(क) किसी साक्षी को समन करना और उसे हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

अधिनियम संख्या 5, 1908

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना जो साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने योग्य हो;

(ग) किसी विशेषाधिकार की अध्यर्थना के अधीन (जिसके सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी किन्तु उसकी धारा 162 लागू न होगी), किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अभियाचना करना।

अधिनियम संख्या 1, 1872

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सब्सिडियरी बैंक) ऐक्ट, 1959 की धारा 2 के खण्ड (के) में यथापरिभाषित किसी समनुषंगी बैंक, या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित किसी समरूपी नये बैंक को :—

**ऐक्ट संख्या 38, 1959
अधिनियम संख्या 5, 1970**

(क) कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज को, जिसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, समनुषंगी बैंक या समरूपी नया बैंक गोपनीय प्रकार का होने का दावा करे, पेश करने ; या

उत्तर प्रदेशीय विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976)

(ख) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को विभागीय जांच की कार्यवाहियों के अभिलेख का अंग बनाने ; या

(ग) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को, यदि पेश किया जाय, अपने समक्ष किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण कराने ;

के लिये बाध्य नहीं करेगा।

(3) किसी साक्षी की हाजिरी या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिये जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी की गई कोई आदेशिका या तो सीधें (डाक द्वारा या सन्देशवाहक द्वारा) या उस जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील और निष्पादित की जा सकती है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह साक्षी या अन्य व्यक्ति, जिस पर आदेशिका तामील या निष्पादित की जानी है, स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है।

(4) जहां कोई आदेशिका, उपधारा (3) के अनुसार जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील या निष्पादित की जाय वहां वह, उसकी अवज्ञा के लिये कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ, जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा जारी की गई आदेशिका समझी जायेगी।

(5) जहां कोई आदेशिका उत्तर प्रदेश डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग्स (ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्युनल) रूल्स, 1947 के अधीन गठित किसी अधिकरण द्वारा जारी की जाय, और उसको जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रेषित किये बिना तामील और निष्पादित किया जाय, वहां ऐसी किसी आदेशिका की अवज्ञा करने के लिये कोई कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अधिकरण को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में आदेश 16 के नियम 10 से 18 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

(6) इस अधिनियम के अधीन विभागीय जांच करने वाला प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जायगा।

5-धारा 4 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता इस अधिनियम के विस्तार-पर्यन्त क्षेत्रीय सीमाओं तक विस्तृत होगी।

6-राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

7-(1) उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यो को प्रस्तुत कराने का) अधिनियम, 1953, दिनांक 17 सितम्बर, 1975 से निरसित किया जाता है।

(2) उत्तर प्रदेश विभागीय जांच, (साक्षियों को हाजिर होने तथा दस्तावेज के लिये बाध्य करना) अध्यादेश, 1976 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(3) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत दिनांकों पर प्रवृत्त था।

अधिनियम संख्या 5,
1908

अधिनियम संख्या 2,
1974

क्षेत्रीय सीमार्यें
जिनमें धारा 4 में
विनिर्दिष्ट शक्ति
का प्रयोग किया जा
सकेगा

नियम बनाने की
शक्ति

निरसन और
अपवाद

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
21, 1953

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 1,
1976